संख्या– 1/3/96–का–4–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ दिनांकः 12 मई, 2020

विषयः– सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या–3/2018/1/3/96–का–4–2018, दिनांक 29 मार्च, 2018 के द्वारा सत्र 2018–2019 से 2021–22 के लिये नीति निर्धारित की गयी थी। वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2020–21 में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक रहेगी।

2– सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अशक्तता (Incapicitation), प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलम्बन अथवा सेवा से पृथक किये जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति विशेष को प्रशासनिक विभाग स्थानान्तरण नीति में वर्णित सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकते हैं, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस रिक्ति को भरने से उत्पन्न होने वाली परिणामी रिक्ति पर तैनाती नहीं की जा सकेगी। अपरिहार्य स्थिति में मा0 मुख्यमंत्री जी से अनुमोदनोंपरान्त स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या– 1/3/96–का–4–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/मा0 मुख्यमंत्री/विधान सभा/विधान परिषद, उ.प्र.।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश/निजी सचिव मा0 मंत्रिगण।
3. निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।